	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	गया है इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। बावजूद तामिल सूचना व बार-बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी अनावेदकगण सं. 7,10,11 अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रा. पत्र श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दिनांक 10-2-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	
10-2-22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अनावेदकगण आवेदक के हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द, निर्माण व बेचान करने पर आमादा है। विवादित भूमि में हक हकूक को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। विवादित भूमि को लेकर अनावश्यक मुकदमेबाजी व विवाद नहीं बढ़े इसके लिये अनावेदकगण को आवेदक के हिस्से तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के दावे का निर्णय होने तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में जाहिर होता है। यदि अनावेदकगण को आवेदक के हिस्से तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी आवेदक को होगी। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावे की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को आवेदक के हिस्से तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वे [illegible] रीपुरा पटवार हल्का सोभल के भूमि [illegible] 145, [illegible] 233, 378 कुल किता 5 कुल रकबा [illegible] पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदकगण के हिस्से तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:20:29 IST
Reason: SelfAttested